दिनांक 12.09.2023 को उपायुक्त–सह–अध्यक्ष, डी0एम0एफ0टी0, लातेहार की अध्यक्षता में सम्पन्न जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट(DMFT) के प्रबंधकीय समिति की बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति :– यथा पंजी अनुसार

उपायुक्त–सह–अध्यक्ष, डी0एम0एफ0टी0, लातेहार के द्वारा सर्वप्रथम उपस्थित सदस्यों का स्वागत करते हुए बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

बैठक में सर्वप्रथम प्रभारी पदाधिकारी, डी0एम0एफ0टी0, लातेहार के द्वारा अवगत कराया गया कि उपायुक्त लातेहार के द्वारा प्रभारी पदाधिकारी, डी0एम0एफ0टी0, लातेहार का प्रभार दिया गया है। जिसमें डी0एम0एफ0टी0 अन्तर्गत योजनाओं के क्रियान्वयन के पश्चात राशि का भुगतान किया जाना है। झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित गजट, असाधारण अंक सं0–854 दिनांक 07.12.2015 के कंडिका 13 में उल्लेखित है कि –"न्यास के नाम से, एक या अधिक अधिसूचित राष्ट्रीयकृत बैंकों मे खाता खोलकर रखा जा सकेगा, जिसका संचालन सदस्य सचिव एवं प्रबंधकीय समिति के अन्य सदस्य के संयुक्त हस्ताक्षर से प्रबंधकीय समिति के प्राधिकृत करने के उपरांत किया जा सकेगा।"

उक्त के आलोक में जिला पंचायत राज पदाधिकारी, लातेहार को न्यास के नाम से बैंक खाता के संचालन हेतु सदस्य सचिव के साथ संयुक्त हस्ताक्षर करने के निमित प्राधिकृत करने का प्रबंधकीय समिति के द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

प्रभारी पदा0, डी0एम0एफ0टी0, लातेहार।	जिला पंचायत राज पदा0, लातेहार	जिला खनन पदा0, लातेहार	असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदा0, लातेहार	उप विकास आयुक्त, लातेहार	वन प्रमण्डल पदा0, लातेहार	आरक्षी अधीक्षक, लातेहार	उपायुक्त, लातेहार

ज्ञापांक 345/डी0एम0एफ0टी0, दिनांक 12/09/2023

प्रतिलिपि :– डी0एम0एफ0टी0 प्रबंधकीय समिति के सभी सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी कार्यकारी एजेंसी, लातेहार जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उपायुक्त, लातेहार।